

**दिनांक 30 मई, 2024 को हुई राष्ट्रीय कौशल अहता समिति (एनएसक्यूसी) की 38वीं बैठक के कार्यवृत्त**

राष्ट्रीय कौशल अहता समिति (एनएसक्यूसी) की 38वीं बैठक डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) की अध्यक्षता में दिनांक 30 मई, 2024 को हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची अनुबंध-I पर है। बैठक में कार्यसूची मर्दाँ के संदर्भ में समिति द्वारा लिए गए निर्णय आगामी पैरा में दिए गए हैं :

- कार्यसूची मद 01 : दिनांक 30 अप्रैल, 2024 को आयोजित, एनएसक्यूसी की 37वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन**

1.1 समिति को यह अवगत कराया गया कि एनएसक्यूसी की 37वीं बैठक के कार्यवृत्त परिचालित कर दिए गए थे और निम्नलिखित संपादकीय सुधार प्राप्त हुए हैं :-

1.1.1 समिति को सूचित किया गया कि तोपखाना महानिदेशालय की चार (04) अहताएं अनुमोदित कर दी गई थी। तालिका के शीर्षक में, जहाँ अनुबंध-VI में अहताएं सूचीबद्ध की गई थी, 37वीं एनएसक्यूसी बैठक के कार्यवृत्त में त्रुटिवश “इंफेट्री महानिदेशालय” उल्लिखित कर दिया गया था। सही शीर्षक “तोपखाना महानिदेशालय” पढ़ा जाए।

1.1.2 समिति ने उपरोक्त सुधारों के साथ एनएसक्यूसी की 37वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन किया।

- कार्यसूची मद 02 : एनएसक्यूसी की 37वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट**

2.1 एनएसक्यूसी की 37वीं बैठक के कार्यवृत्त में समिति के समक्ष की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का विस्तृत व्यौरा प्रस्तुत किया गया। समिति ने की गई कार्रवाई को स्वीकार किया और उसका अनुमोदन किया तथा साथ ही निम्नलिखित पर जोर दिया :-

2.1.1 पुनर्मूल्यांकन की एक प्रणाली शुरू करना और वीईटीएस में कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम पास प्रतिशत निर्धारित करना।

2.1.1.1 अवगत कराया गया कि पुनर्मूल्यांकन की एक प्रणाली शुरू करने और वीईटीएस में कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम पास प्रतिशत निर्धारित करने के लिए गठित की गई समिति की दो बैठकें

दिनांक 27.03.2024 और 17.05.2024 को आयोजित की गई थी। तदनुसार, सभी सदस्यों को प्रारूप सिफारिशें परिचालित कर दी गई थीं। टिप्पणियाँ प्राप्त हो गई हैं और रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

**2.1.1.2** समिति ने रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले सीबीएसई, एआईसीटीई और यूजीसी के साथ परामर्श करने का निदेश दिया।

**2.1.1.3** समिति ने स्थिति पर गौर किया और दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

**2.1.2** पीएमकेवीवाई 4.0 अहताओं के लिए प्रशिक्षणार्थी और प्रशिक्षक की हैंडबुक की अनुपलब्धता

**2.1.2.1** एनएसक्यूसी की 36वीं बैठक में, समिति ने सभी एबी (एसएससी) को निदेश दिया था कि वे पीएमकेवीवाई अहताओं के कार्यान्वयन के लिए एनएसक्यूसी की 36वीं बैठक से एक सप्ताह के भीतर सभी पीएमकेवीवाई 4.0 अहताओं के लिए प्रशिक्षणार्थी और प्रशिक्षक की हैंडबुक प्रस्तुत करें।

**2.1.2.2** समिति को एबी (एसएससी) द्वारा प्रशिक्षणार्थी और प्रशिक्षक की हैंडबुक प्रस्तुत करने के संबंध में स्थिति के बारे में अवगत कराया गया। जिन एबी (एसएससी) ने इसे प्रस्तुत किया है, उनका ब्यौरा इस प्रकार है:-

1	एयरोस्पेस और विमान क्षेत्र कौशल परिषद्	16	नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज (एनएएसएससीओएम)
2	भारतीय कृषि क्षेत्र परिषद्	17	विद्युत क्षेत्र कौशल परिषद्
3	अपैरल मेड अप्स और होम फर्निशिंग क्षेत्र कौशल परिषद्	18	लॉजिस्टिक क्षेत्र कौशल परिषद्
4	ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद्	19	पर्यटन और अतिथ्य कौशल परिषद्
5	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा (बीएफएसआई) एसएससी	20	रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया
6	भारतीय निर्माण कौशल विकास परिषद्	21	खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कौशल परिषद्

7	भारतीय इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र कौशल परिषद्	22	ग्रीन जॉब कौशल परिषद्
8	हस्तशिल्प और कालीन एसएससी	23	खनन क्षेत्र कौशल परिषद्
9	सौन्दर्य और स्वास्थ्य एसएससी	24	दिव्यांगजन कौशल परिषद्
10	लौह और इस्पात एसएससी (आईआईएसएसएससी)	25	खेल, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस और विश्राम कौशल परिषद् फर्नीचर और फिटिंग
11	चर्म एसएससी	26	दूर संचार क्षेत्र कौशल परिषद्
12	जीव विज्ञान क्षेत्र कौशल विकास परिषद्	27	वस्त्र क्षेत्र कौशल परिषद्
13	प्रबंधन एवं उद्यमशीलता और पेशेवर कौशल परिषद्	28	जल प्रबंधन और नलसाज कौशल परिषद्
14	मीडिया और मनोरंजन कौशल परिषद्	29	पूँजीगत वस्तुएं और कार्यनीतिक कौशल परिषद्
15	अवसंरचना उपकरण कौशल परिषद्	30	हाइड्रोकार्बन एसएससी

**2.1.2.3** जिन एबी (एसएससी) ने पीएमकेवीवाई 4.0 अहंताओं के लिए प्रशिक्षणार्थी और प्रशिक्षक की हैंडबुक प्रस्तुत नहीं की है, उनका व्यौरा इस प्रकार है :-

1	स्वास्थ्य देखरेख क्षेत्र कौशल परिषद्	3	भारतीय रत्न और आभूषण कौशल परिषद्
2	इंस्ट्रमेंटेशन ऑटोमेशन निगरानी और संचार एसएससी	4	रबड़, रसायन और पैट्रोरसायन कौशल विकास परिषद्

**2.1.2.4** समिति ने स्थिति पर गौर किया और शेष एबी (एसएससी) को निदेश दिया कि वे 38वीं एनएसक्यूसी की बैठक से अगले दस (10) दिनों के भीतर प्रशिक्षणार्थी और प्रशिक्षक की हैंडबुक प्रस्तुत करें।

**2.1.2.5** इसके अलावा, समिति ने यह भी निर्देश दिया कि उपरोक्त अवधि के बाद, उन सभी अहंताओं को पुरालेख कर दिया जाए, जिनमें इसके अनुरूप प्रशिक्षणार्थी और प्रशिक्षक की हैंडबुक नहीं हैं।

### 2.1.3 रक्षा अहंताओं के लिए एनएसक्यूएफ स्तर और सुझाए गए नाम

**2.1.3.1** समिति को अवगत कराया गया कि भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना को एनएसक्यूसी के निर्णयों के

अनुसार संशोधित नाम और प्रवेश अपेक्षाएं प्रस्तुत करने के संबंध में पत्र भेजा गया था। समिति ने निर्देश दिया कि इस संबंध में तत्परता बरती जाए और 30 अप्रैल, 2024 को हुई 37वीं एनएसक्यूसी बैठक से अगले 30 दिनों में प्रक्रिया पूरी की जाए।

**2.1.3.2** तदनुसार, एआरटीआरएसी ने सात निदेशालयों से नामकरण/ प्रवेश अपेक्षाओं में परिवर्तन के साथ कुल 123 अहंताएं साझा की थी और उन्हें एनएसक्यूसी की 37वीं बैठक में अनुमोदित कर दिया गया था। बाद में, एआरटीआरएसी ने आर्ड कॉर्प्स महानिदेशालय से पात्रता मानदंड में परिवर्तन के साथ (07) सात अहंताएं साझा की हैं।

**2.1.3.3** समिति ने स्थिति पर गौर किया और उसे स्वीकार किया।

**2.1.4** दिनांक 30 अप्रैल, 2024 को आयोजित 37वीं एनएसक्यूसी बैठक के दौरान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत एसएससी नासकॉम (एनएएसएससीओएम) की एक अहंता और नौ एनओएस

**2.1.4.1** समिति को अवगत कराया गया कि एनओएस को यूजीसी और एआईसीटीई से, जहाँ उन्हें कार्यान्वित किया जाना था, वैधीकरण की प्रस्तुति के अध्यधीन सशर्त अनुमोदित किया गया था।

**2.1.4.2** तदनुसार, एसएससी नासकॉम (एनएएसएससीओएम) ने 11 उद्योग वैधीकरणों के साथ 10 शैक्षणिक वैधीकरण प्रस्तुत किए और इनका अनुपालन कर दिया गया है।

**2.1.4.3** समिति ने वर्तमान स्थिति पर गौर किया और उसे स्वीकार किया।

**3.** कार्यसूची मद 03 : सेंचुरियन युनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (सीयूटीएम) की तीन अहंताओं की प्रवेश अपेक्षाओं में संशोधन

**3.1** समिति को यह अवगत कराया गया था कि एनएसक्यूसी की दिनांक 31 जनवरी, 2024 को हुई 35वीं बैठक में सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (सीयूटीएम) से प्राप्त तीन अहंताएं अनुमोदित की गई थीं, जो इस प्रकार हैं:-

1. क्रोप एंड प्लांट सुपरवाइजर

2. वैकल्पिक 1 : ड्रैगन फ्रूट
  3. वैकल्पिक 2 : लेमन ग्रास को अनुमोदन के लिए रखा गया था।
  4. कटाई उपरांत पण्य वस्तु जाँच और भंडारण सुपरवाइजर
  5. कृषि मूल्यवर्धन सलाहकार
- 3.2** तथापि, समिति को यह भी अवगत कराया गया था कि विकासकर्ता निकाय, सीयूटीएम ने इन उपरोक्त अर्हताओं के प्रवेश स्तर में संशोधन का अनुरोध किया है। इन अर्हताओं का व्यौरा इस प्रकार है :-

क्र.सं.	अर्हता का नाम	एनएसक्यूएफ स्तर	स्तर 5 पर पुरानी प्रवेश अपेक्षाएं (सभी तीनों अर्हताओं के लिए)	स्तर 5 पर संशोधित प्रवेश अपेक्षाएं (सभी तीनों अर्हताओं के लिए)
1.	क्रोप और प्लांट सुपरवाइजर वैकल्पिक 1 : ड्रैगन फ्रूट वैकल्पिक 2 : लेमन ग्रास	5	यूजी डिप्लोमा के बाद बीई, बीटेक (मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मैकेट्रॉनिक्स)* का तीसरा/ चौथा वर्ष चल रहा हो अथवा 12+2 वर्ष डिप्लोमा (मैकेनिकल या प्रोडक्शन) अथवा 10+3 वर्ष डिप्लोमा (मैकेनिकल या प्रोडक्शन) के साथ 1 वर्ष का अनुभव	कृषि में यूजी डिप्लोमा या समतुल्य अथवा कृषि में 3 वर्षीय डिप्लोमा (10वीं के बाद) पूरा किया हो और साथ में 1.5 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव हो अथवा 12वीं कक्षा पास के साथ 3 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव अथवा
2.	कटाई के बाद कमोडिटी परीक्षण और भंडारण पर्यवेक्षक	5	अथवा विगत एनएसक्यूएफ स्तर 4 के साथ 3 वर्ष का अनुभव अथवा विगत एनएसक्यूएफ स्तर 4.5 के साथ 1.5 वर्ष का अनुभव	12वीं कक्षा पास के साथ 3 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव हो अथवा 12वीं कक्षा पास के साथ 3 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव अथवा विगत एनएसक्यूएफ स्तर 4 की संगत अर्हता के साथ 1.5 वर्ष का कृषि/ खेती में संगत अनुभव प्रमाणपत्र अथवा विगत एनएसक्यूएफ स्तर 4 की संगत अर्हता के साथ 3 वर्ष का कृषि/ खेती में संगत अनुभव
3.	कृषि मूल्य संवर्धन सलाहकार	5	अथवा विगत एनएसक्यूएफ स्तर 4 की संगत अर्हता के साथ 1.5 वर्ष का कृषि/ खेती में संगत अनुभव प्रमाणपत्र अथवा विगत एनएसक्यूएफ स्तर 4 की संगत अर्हता के साथ 3 वर्ष का कृषि/ खेती में संगत अनुभव	अथवा विगत एनएसक्यूएफ स्तर 4.5 की संगत अर्हता के साथ 1.5 वर्ष का कृषि/ खेती में संगत अनुभव प्रमाणपत्र अथवा विगत एनएसक्यूएफ स्तर 4 की संगत अर्हता के साथ 3 वर्ष का कृषि/ खेती में संगत अनुभव

- 3.3** समिति ने स्थिति पर गौर किया और संशोधन को अनुमोदित किया।

**4. कार्यसूची मद 04 : भारतीय कृषि कौशल परिषद् (एएससीआई) की तीन (03) अहताओं की वापसी**

4.1 समिति को यह अवगत कराया गया था कि भारतीय कृषि कौशल परिषद् (एएससीआई) ने निम्नलिखित तीन (03) अहताओं को वापस लेने के लिए अनुरोध किया है, जिसके लिए पीएमकेवीवाई 4.0 में कार्यान्वयन के लिए अनंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया था:-

- क) मशरूम ग्रोवर (छोटे उद्यमी)
- ख) नॉन-टिम्बर फोरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्टर
- ग) फिश सीड ग्रोवर

4.2 समिति ने कार्यसूची को अनुमोदित किया और अहताओं का संशोधित संस्करण लाने के लिए संबंधित एबी को सुझाव दिया।

**5. कार्यसूची मद 05 : विशेष संक्रिया और गोताखोरी निदेशालय, भारतीय नौसेना (डीएसओडी) से प्राप्त एक (01) अहता का अनुसमर्थन**

5.1 समिति को यह अवगत कराया गया कि विशेष संक्रिया और गोताखोरी निदेशालय, भारतीय नौसेना (डीएसओडी) ने “सरफेस सप्लाइड एयर डाइवर (एडवांस)” नामक एक (01) अहता को एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था। अहता को सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 08.05.2024 की फा. सं. 36003/14/2024/एनसीवीईटी के तहत ‘फाइल पर’ अनुमोदित किया गया। अहता का ब्यौरा इस प्रकार है :-

क्र.सं.	अहता का नाम	प्रवेश अपेक्षाएं	नोशनल घंटे	एनएसक्यूएफ स्तर	प्रोन्नति
1.	सर्फेस सप्लाइड एयर डाइवर (एडवांस)	12वीं कक्षा और स्कूबा गोताखोरी	कुल : 1380 घंटे सैट्धान्तिक : 390 प्रायोगिक : 870 ईएस : 120 ओजेटी	5	बेल डाइवर

5.2 समिति ने गौर किया और कार्यसूची का अनुसमर्थन किया।

**6. कार्यसूची मद 06 : नेटट्रॉटर टेक्निकल ट्रेनिंग फाउंडेशन (एनटीटीएफ) से प्राप्त दो (02) डिप्लोमा अर्हताओं (आईटी-आईटीईएस सेक्टर) का अनुसमर्थन**

- 6.1 समिति को यह अवगत कराया गया था कि एनटीटीएफ ने “व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल में डिप्लोमा अर्हताओं के लिए दिशानिर्देश” में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, पहले से एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित छह (06) अर्हताओं का समूहन करके प्रस्तुत किया था। तदनुसार, डिप्लोमा अर्हताओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 17.05.2024 के आदेश सं. 36003/52/2023/एनसीवीईटी के तहत “फाइल पर” अनुमोदन प्रदान किया गया था।
- 6.2 समिति ने “कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में डिप्लोमा” अर्हता का नाम बदल कर “कंप्यूटर प्रौद्योगिकी और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में डिप्लोमा” रखने का सुझाव दिया था, जिसे संबंधित एबी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।
- 6.3 डिप्लोमा अर्हताओं का व्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	डिप्लोमा अर्हता का नाम	अनुमोदित अर्हता	एनएसक्यूएफ स्तर
1.	कंप्यूटर प्रौद्योगिकी और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में डिप्लोमा	सहायक तकनीशियन - आईटी इंस्टालेशन	3.5
		तकनीशियन - आईटी सपोर्ट	4
		वरिष्ठ तकनीशियन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर	4.5
2.	सूचना प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान में डिप्लोमा	सहायक तकनीशियन सूचना प्रौद्योगिकी	3.5
		सॉफ्टवेयर डेवलपर	4
		वरिष्ठ तकनीशियन - सूचना प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान	4.5

- 6.4 समिति ने गौर किया और कार्यसूची का अनुसमर्थन किया।
7. कार्यसूची मद सं. 06 : ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद् (एएसडीसी) से प्राप्त एक (01) डिप्लोमा अर्हता (ऑटोमोटिव सेक्टर) का अनुसमर्थन करना।
- 7.1 समिति को अवगत कराया गया कि एएसडीसी ने “आवधिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल में डिप्लोमा अर्हताओं के लिए दिशानिर्देश” में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, पहले से एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित तीन (03) अर्हताओं का समूहन करके एक (01)

डिप्लोमा अर्हता प्रस्तुत की थी। तदनुसार, डिप्लोमा अर्हताओं को सक्षम प्राधिकारी के दिनांक 09.05.2024 की फा. सं. 38002/10/2021 के तहत “फाइल पर” अनुमोदन प्रदान किया गया था। डिप्लोमा अर्हता का ब्यौरा इस प्रकार है :-

क्र.सं.	डिप्लोमा अर्हता का नाम	अनुमोदित अर्हताएं	एनएसक्यूएफ स्तर
1.	विनिर्माण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	मशीन और एसेंबली तकनीशियन	3.5
		फेलिकेशन और सर्विस तकनीशियन	4
		विनिर्माण और मेकेट्रॉनिक लीड तकनीशियन	4.5

7.2 समिति ने स्थिति पर गौर किया और उसका अनुसमर्थन किया।

#### 8. कार्यसूची मद 08 : अर्हताओं के अंगीकरण के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन करना।

8.1 समिति को अवगत कराया गया कि अर्हताओं के अंगीकरण के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए थे और एनसीवीईटी द्वारा दिनांक 22.02.2022 को अधिसूचित कर दिए गए थे। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य अन्य निकाय/यों द्वारा विकसित अर्हताओं के अंगीकरण में सुविधा प्रदान करना है, जिससे दोहरेपन में कमी आएगी और साथ ही, अर्हताओं के विकास में प्रयासों का अनुकूलन भी हो सकेगा।

8.2 तथापि, चूंकि कौशल व्यवस्था में नए नीति पहल प्रयासों जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) और व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल पारिस्थितिकी प्रणाली (वीईटीएस) में स्टैण्डअलोन राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस), माइक्रो क्रेडेंशियल (एमसी) और नैनो क्रेडेंशियल (एनसी) की अवधारणा शुरू होने के कारण जबरदस्त बदलाव हो रहा है, अतः एनसी/ एमसी और एनओएस को अपनाने के साथ-साथ अन्य हालिया पहलों को शामिल करने के लिए समर्थकारी प्रावधान शामिल करके इसका दायरा बढ़ाने के लिए अर्हता के अंगीकरण के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों में संशोधन/ सुधार करने की आवश्यकता है। इससे छोटी अवधि के एनसी/ एमसी अथवा एनओएस के कार्यान्वयन के लिए उद्योग की मांग को भी पूरा किया जा सकेगा।

8.3 समिति ने इस पर गौर किया और कार्यसूची को अनुमोदित किया।

**9. कार्यसूची मद 09 :** खनन क्षेत्र कौशल परिषद् (एससीएमएस) से भारतीय लौह एवं इस्पात क्षेत्र कौशल परिषद् (आईआईएसएसएससी) द्वारा एक (01) अहता का अंगीकरण करना।

**9.1** समिति को अवगत कराया गया कि भारतीय लौह एवं इस्पात क्षेत्र कौशल परिषद् (आईआईएसएसएससी) ने बिना कोई शुल्क भुगतान किए दोनों एनसीवीईटी मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों (अर्थात् आईआईएसएसएससी और एससीएमएस) के परस्पर करार के साथ खनन क्षेत्र कौशल परिषद् (एससीएमएस) से प्राप्त एक (01) एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अहता अंगीकृत की है। अंगीकृत की गई अहता का ब्यौरा इस प्रकार है :-

क्र.सं.	क्षेत्र	अहता का नाम	एनक्यूआर कोड	अगली समीक्षा की तिथि
1.	खनन	बुल्डोजर ऑपरेटर	2022/एमआईएन/एससीएमएस/06977	27 जनवरी, 2025

**9.2** समिति ने इस पर गौर किया और इसे अनुमोदित किया।

**10. कार्यसूची मद 10 :** भारतीय रक्षा बलों द्वारा एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अहताओं का अंगीकरण करना।

**10.1** समिति को यह अवगत कराया गया था कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड (एआरटीआरएसी) ने अनुबंध (III) पर रखी निम्नलिखित 22 अहताओं की एक सूची साझा की, जिसमें 05 भारतीय सेना निदेशालयों (अवार्डिंग निकायों) द्वारा अंगीकरण किए जाने का प्रस्ताव दिया गया था।

**10.2** समिति ने कार्यसूची को अनुमोदित किया।

**11. कार्यसूची मद 11:** एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन के लिए अहताओं को प्रस्तुत करना।

**11.1** एनसीवीईटी में कुल 177 (63 नई और 36 संशोधित) अहताएं, 26 एनओएस और 52 माइक्रो क्रेडेंशियल प्राप्त हुए थे और 152 अहताएं (50 नई अहताएं, 32 संशोधित अहताएं, 23 एनओएस और 47 माइक्रो क्रेडेंशियल) इस एनएसक्यूसी में अनुमोदन के लिए रखी गई थी। समिति के अनुमोदन और निर्णय की विस्तृत स्थिति अनुबंध-IV (रक्षा

बलों से अहताएं) और अनुबंध-V (केन्द्रीय मंत्रालयों/ राज्य निकायों/ एसएससी/ अन्य सरकारी और प्राइवेट निकायों से अहताएं) पर हैं।

**11.2 प्राप्त अहताओं की विस्तृत स्थिति आगामी पैरा में है :-**

**11.2.1 भारतीय रक्षा बलों द्वारा प्रस्तुत अहताओं का एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन करना।**

**11.2.1.1 सेना शिक्षा अतिरिक्त महानिदेशालय : दस (10) नई अहताएं समिति के समक्ष रखी गई थीं और अनुमोदित कर दी गई थीं।**

**11.2.1.2 सिगनल कोर महानिदेशालय : आठ (08) नई अहताएं समिति के समक्ष रखी गई थीं और दो (02) अहताओं के नाम में परिवर्तन किए जाने के अध्यधीन अनुमोदित कर दी गई थीं, जिस पर एबी द्वारा सहमति प्रदान की गई थी, जो इस प्रकार है :-**

क्र.सं.	मौजूदा नामकरण	एनएसक्यू स्तर	सुझाए गए नामकरण
1	उप प्रबंधक साइबर ऑडिटर	5.5	उप प्रबंधक साइबर ऑडिटिंग
2	सुपरवाइजर सर्वेयर और पैटिंग	5	सुपरवाइजर सर्वे और पैटिंग
3	सुपरवाइजर साइबर ऑडिटर	5	सुपरवाइजर साइबर ऑडिटिंग
4	उप प्रबंधक सर्वेयर और पैटिंग	5.5	उप प्रबंधक सर्वे और पैटिंग

**11.2.1.3 भारतीय वायु सेना : नौ (09) संशोधित अहताएं समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थीं और एक (01) अहता के नाम में परिवर्तन के साथ अनुमोदित कर दी गई थीं, जिसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-**

क्र.सं.	मौजूदा नामकरण	एनएसक्यूएफ स्तर	सुझाया गया नामकरण
1.	फिजिकल फिटनेस एसोसिएट्स	4.5	फिजिकल फिटनेस एसोसिएट

**11.2.1.4 आपूर्ति और परिवहन महानिदेशालय : चार (04) नई अहताएं समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थीं और तीन (03) अनुमोदित कर दी गई थीं तथा एक (01) अहता नामतः “इक्वाइन टीम लीडर” वापस ले ली गई थीं।**

**11.2.1.5 आयुध सेवा महानिदेशालय :** चार (04) नई अहताएं समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और अनुमोदित कर दी गई थी।

**11.2.1.6 समिति** ने ऐसी सभी रक्षा अहताओं के लिए, जिनमें प्रवेश अपेक्षा 12वीं पास अथवा समतुल्य और निर्धारित वर्षों का अनुभव है, एनएसक्यूएफ स्तर 5 और अधिक की प्रत्येक अहता में अनिवार्य मूल्यांकनों की संख्या का उल्लेख करने का भी निदेश दिया, जो इस प्रकार है :-

क्र.सं.	एनएसक्यूएफ स्तर	प्रवेश स्तर मानदंड व कार्य अनुभव	मूल्यांकनों की अनिवार्य संख्या
1.	5	12वीं पास अथवा समतुल्य और साथ में आठ वर्षों का अनुभव	2
2.	5.5	12वीं पास अथवा समतुल्य और साथ में बारह वर्षों का अनुभव	3

**11.2.2 अवार्डिंग निकायों (केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य निकाय/ एसएससी/ अन्य सरकारी और प्राइवेट निकाय) द्वारा प्रस्तुत अहताओं का एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन करना।**

**11.2.2.1 एनआईईएलआईटी :** सात (07) नई अहताएं समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और एक अहता के नामकरण में परिवर्तन किए जाने के अध्यधीन अनुमोदित कर दी गई थी, जिस पर एबी द्वारा सहमति प्रदान की गई थी, जो इस प्रकार है :-

क्र.सं.	मौजूदा नामकरण	एनएसक्यूएफ स्तर	सुझाया गया नामकरण
1.	चिप डिजाइनर (ए-लेवल “चिप डिजाइन”)	5	जूनियर चिप डिजाइनर (ए-लेवल “चिप डिजाइन”)

**11.2.2.2 आरयूडीएसईटीआई :** तीन (03) संशोधित अहताएं समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और निम्नलिखित दो अहताओं के नामकरण में परिवर्तन के अध्यधीन अनुमोदित कर दी गई थी, जिस पर संबंधित एबी द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई थी, और इस प्रकार है :-

क्र.सं.	मौजूदा नामकरण	एनएसक्यूएफ स्तर	सुझाया गया नामकरण
1.	फास्ट फूड स्टाल उद्यमी	2	लघु उद्यमी (फास्ट फूड स्टाल)
2.	फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर उद्यमी	2.5	लघु उद्यमी (फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर)

**11.2.2.3 समिति द्वारा एबी को यह भी निदेश दिया गया था कि अगली एनएसक्यूएन द्वारा संशोधित किए जाने के लिए सभी लंबित अर्हताएं प्रस्तुत करें।**

**11.2.2.4 अतिरिक्त कौशल अर्जन कार्यक्रम (एएसएपी) केरल : एक (01) नई अर्हता नामतः “एडवांस्ड कम्युनिकेशन इंगिलिश एंड प्रोफेशनल स्किल्स ट्रेनर” समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और अनुमोदित कर दी गई थी। यह सुझाव दिया गया था कि प्रवेश अपेक्षा में यूजी में एक विषय के रूप में अंग्रेजी को शामिल किया जाए और इसे अर्हता में भी उल्लिखित किया जाए।**

**11.2.2.5 एमएसएमई प्रौद्योगिकी केन्द्र : एक (01) नई अर्हता समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और अनुमोदित कर दी गई थी।**

**11.2.2.6 सीआरआईएसपी भोपाल : एक (01) नई अर्हता समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और अनुमोदित कर दी गई थी।**

**11.2.2.7 भारतीय कृषि क्षेत्र परिषद् : बारह (12) संशोधित अर्हताएं समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और 10 अर्हताओं में नामकरण, स्तर और वैधता के संदर्भ में नीचे दिए गए अनुसार परिवर्तन किए जाने के अध्यधीन अनुमोदित कर दी गई थी। इसके अलावा, समिति ने जहाँ कहीं लागू है, सीईओ, एएससीआई से सिफारिश की कि 74 कृषि विश्वविद्यालयों और उनके कुलपतियों के साथ प्रशिक्षण की संख्या बढ़ाने के लिए सहयोग करें।**

क्र.सं.	अर्हता का नाम	परिवर्तन का प्रकार	सुझाए गए परिवर्तन
1.	गार्डनर	नामकरण	मास्टर गार्डनर
2.	हॉर्टिकल्चर नर्सरी वर्कर	नामकरण	प्लांट नर्सरी एसोसिएट

3.	फ्लोरिस्ट	स्तर और वैधता	i. स्तर को घटाकर 2.5 किया गया, तदनुसार प्रवेश अपेक्षा संशोधित की गई। ii. 6 माह के लिए अनुमोदित
4.	पेस्टीसाइड एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेटर	स्तर और वैधता	i. स्तर को घटाकर 2.5 किया गया, तदनुसार प्रवेश अपेक्षा संशोधित की गई। ii. 6 माह के लिए अनुमोदित
5.	फ्लॉवर पैकेजर एंड पेलेटाइजर	स्तर और वैधता	i. स्तर को घटाकर 2.5 किया गया, तदनुसार प्रवेश अपेक्षा संशोधित की गई। ii. 6 माह के लिए अनुमोदित
6.	प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नीशियन	वैधता	6 माह के लिए अनुमोदित
7.	रिपेयर एंड मैटेनेन्स टेक्नीशियन (फार्म मशीनरी)	वैधता	6 माह के लिए अनुमोदित
8.	कस्टम हियरिंग सेन्टर इन-चार्ज (एग्री मशीनरी)	वैधता	6 माह के लिए अनुमोदित
9.	रिपेयर एंड मैटेनेन्स सुपरवाइजर (फार्म मशीनरी)	वैधता	6 माह के लिए अनुमोदित
10	हार्वेस्टिंग मशीनरी ऑपरेटर ऑप्सन 1 : पोस्ट-हार्वेस्ट मशीनरी ऑपरेशन	वैधता	6 माह के लिए अनुमोदित

**11.2.2.8 पूँजीगत वस्तुएं और कार्यनीतिक कौशल परिषद् (सीजीएसएससी) :**  
सीजीएसएससी द्वारा प्रस्तुत की गई एक (01) नई अहता समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और अनुमोदित कर दी गई थी।

**11.2.2.9 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र कौशल परिषद् (एफआईसीएसआई) :**  
एक (01) नई अहता समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और अनुमोदित कर दी गई थी।

**11.2.2.10 हस्तशिल्प और कालीन क्षेत्र कौशल परिषद् :** एक (01) नई अहता समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और प्रवेश स्तर मानदंड में

परिवर्तन किए जाने के अध्यधीन अनुमोदित कर दी गई थी, जिसे एबी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। व्यौरे इस प्रकार हैं :-

क्र.सं.	मौजूदा नामकरण	एनएसक्यूएफ स्तर	मौजूदा प्रवेश अपेक्षा	सुझाई गई प्रवेश अपेक्षा
1.	बैंगल मेकर	3	10वीं या समतुल्य अथवा 5वीं कक्षा पास और साथ में 5 वर्षों का अनुभव अथवा एनएसक्यूएफ स्तर 2.5 के साथ 1.5 वर्ष का अनुभव अथवा एनएसक्यूएफ स्तर 2 के साथ 3 वर्षों का अनुभव	10वीं या समतुल्य अथवा 8वीं कक्षा पास और साथ में 3 वर्षों का अनुभव अथवा 5वीं कक्षा पास और साथ में 5 वर्षों का अनुभव अथवा एनएसक्यूएफ स्तर 2.5 के साथ 1.5 वर्ष का अनुभव अथवा एनएसक्यूएफ स्तर 2 के साथ 3 वर्षों का अनुभव

**11.2.2.11 हाइड्रो कार्बन क्षेत्र कौशल परिषद् :** तीन (03) नई अहताएं समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और अनुमोदित कर दी गई थी।

**11.2.2.12 लॉजिस्टिक क्षेत्र कौशल परिषद् :** पांच (5) नई अहताएं समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और एक अहता के संबंध में नामावली में परिवर्तन किए जाने के अध्यधीन अनुमोदित कर दी गई थी, जिसे एबी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, जो इस प्रकार है :-

क्र.सं.	मौजूदा नामावली	एनएसक्यूएफ स्तर	सुझाई गई नामावली
1.	समुद्री कार्गो निरीक्षक	4	समुद्री कार्गो कनिष्ठ निरीक्षक

**11.2.2.13 ग्रीन जॉब कौशल परिषद् :** आठ (08) संशोधित अहताएं समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और एक अहता नामतः 'सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण तकनीशियन' के प्रासंगिक अनुभव में परिवर्तन किए जाने के अध्यधीन अनुमोदित कर दी गई थी, जिस पर एबी द्वारा

सहमति दी गई थी और इसे नीचे तालिका में दिया गया है। इसके अलावा, एक अहता, नामतः ‘सफाई मित्र’ के सैद्धान्तिक घटक के लिए अवधि 150 घंटे उल्लिखित की गई है और इसके सैद्धान्तिक घटक के लिए संशोधित अवधि “120 घंटे” पढ़ी जाए :

क्र.सं.	अहता का नाम	एनएसक्यूएफ स्तर	मौजूदा अनुभव	सुझाया गया अनुभव
1.	सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण तकनीशियन	4	12 (विज्ञान) अथवा समतुल्य	12 (विज्ञान) अथवा समतुल्य के साथ अक्षय ऊर्जा/ विद्युत क्षेत्र में 1 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव

**11.2.2.14 दूर संचार क्षेत्र कौशल परिषद् :** एक (01) नई अहता समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और अनुमोदित कर दी गई थी।

**11.2.2.15 सिविल इंजीनियर्स संस्थान :** एक (01) नई अहता (एमईपी सुपरवाइजर - रखरखाव) समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और एक प्रवेश अपेक्षा (अन्य यथा प्रस्तावित रहेगी) में परिवर्तन किए जाने के अध्यधीन अनुमोदित कर दी गई थी, जिस पर एबी द्वारा सहमति दी गई थी और इसे नीचे तालिका में दिया गया है :-

क्र.सं.	मौजूदा प्रवेश मानदंड	सुझाई गई प्रवेश अपेक्षा
1.	सिविल या मैकेनिकल या इलैक्ट्रिकल में 2 वर्षीय डिप्लोमा (12वीं के बाद) और साथ में एक वर्ष का अनुभव	सिविल/ मैकेनिकल/ इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूजी डिप्लोमा या समतुल्य और साथ में एक वर्ष का प्रासंगिक अनुभव। अन्य प्रवेश अपेक्षाएं अहता में यथा प्रस्तावित ही रहेंगी।

**11.2.2.16 सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) :आईटीइएस सेक्टर (सूचना प्रौद्योगिकी - सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं) के संबंध में आईटीडीए द्वारा प्रस्तुत एक (01) नई अहता समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और एनएसक्यूएफ स्तर में परिवर्तन किए जाने के अध्यधीन अनुमोदित कर दी गई थी और तदनुसार एनसीआरएफ मानकीकृत तालिका के अनुसार नोशनल घंटों में परिवर्तन पर एबी द्वारा सहमति दी गई थी। व्यौरा इस प्रकार है :-**

क्र.सं.	नामकरण	मौजूदा प्रवेश अपेक्षा	मौजूदा एनएस क्यूएफ स्तर	मौजूदा नोशनल घंटे	सुझाई गई प्रवेश अपेक्षा	सुझाया गया एनएसक्यू एफ स्तर	सुझाए गए नोशनल घंटे
1.	कारोबारी विश्लेषक - आईटी	3/ 4 वर्ष का यूजी कार्यक्रम पूरा किया हो अथवा पीजी कार्यक्रम का प्रथम वर्ष पूरा किया हो अथवा एनएसक्यूएफ स्तर 3.5 की विगत प्रासंगिक अहंता के साथ संगत ट्रेड में 1.5 वर्ष का अनुभव	4	कुल - 480 घंटे (ईएस सहित) सैद्धान्तिक - 210 घंटे प्रायोगिक - 160 घंटे ईएस - 30 घंटे ओजेटी - 80 घंटे	संगत क्षेत्र* में यूजी का तीसरा वर्ष पूरा किया हो अथवा संगत क्षेत्र में यूजी डिप्लोमा पूरा किया हो और साथ में 1.5 वर्ष का संगत अनुभव* अथवा 12वीं के बाद आईटी में 2 वर्ष का डिप्लोमा पूरा किया हो और साथ में 1.5 वर्ष का संगत अनुभव अथवा 10वीं के बाद आईटी में 3 वर्ष का डिप्लोमा पूरा किया हो और साथ में 3 वर्ष का संगत अनुभव अथवा एनएसक्यूएफ स्तर 5 की विगत संगत अहंता के साथ संगत क्षेत्र में 1.5 वर्ष का अनुभव अथवा एनएसक्यूएफ स्तर 4.5 की विगत संगत अहंता के साथ संगत अनुभव *संगत क्षेत्र - आईटी/ सीएसई/ कंप्यूटर	5.5	कुल - 450 घंटे (ईएस सहित) सैद्धान्तिक 255 घंटे प्रायोगिक - 170 घंटे ईएस - 30 घंटे ओजेटी - 85 घंटे

**11.2.3 अवार्डिंग निकायों (केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य निकाय/ एसएससी/ अन्य सरकार और प्राइवेट निकाय) द्वारा प्रस्तुत किए गए एनओएस का एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन**

**11.2.3.1 एनआईईएलआईटी :** छह (06) नए एनओएस समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे और चार (04) एनओएस के नामकरण में परिवर्तन किए जाने के अध्यधीन अनुमोदित कर दिए गए थे।

क्र.सं.	मौजूदा नामकरण	एनएसक्यूएफ स्तर	सुझाए गए नामकरण
1.	कृषि के लिए आईओटी अनुप्रयोग विकास	3.5	कृषि के लिए आईओटी अनुप्रयोग विकास की परिचयात्मक जानकारी
2.	भवन सुरक्षा के लिए आईओटी अनुप्रयोग विकास	3.5	भवन सुरक्षा के लिए आईओटी अनुप्रयोग विकास की परिचयात्मक जानकारी
3.	स्मार्ट सिटी के लिए आईओटी अनुप्रयोग विकास	3.5	स्मार्ट सिटी के लिए आईओटी अनुप्रयोग विकास की परिचयात्मक जानकारी
4.	क्लाउड आधारित रोबोटिक्स उद्योग सोल्यूशंस विकास	3.5	क्लाउड आधारित रोबोटिक्स सोल्यूशंस विकास की परिचयात्मक जानकारी

**11.2.3.2 समिति ने सभी एबी को यह भी निदेश दिया कि सभी क्षेत्रों द्वारा व्यावसायिक मानचित्र तैयार किया जाए और इसमें क्षेत्र में कार्यबल की जरूरत का उल्लेख करते हुए अनुमानित रोजगार अध्ययन निहित होना चाहिए।**

**11.2.3.3 एससीटीई एंड वीटी, ओडिशा :** एससीटीई एंड वीटी, ओडिशा द्वारा पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के संबंध में प्रस्तुत किए गए दो (02) नए एनओएस समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे और अनुमोदित कर दिए गए थे।

**11.2.3.4 भारतीय कृषि कौशल परिषद् :** छह (06) नए एनओएस समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे और छह नए एनओएस में नामकरण और

प्रवेश अपेक्षा के संदर्भ में परिवर्तनों के अध्यधीन अनुमोदित कर दिए गए थे।

क्र.सं.	एनओएस का नाम	परिवर्तन का प्रकार	सुझाया गया परिवर्तन
1.	उर्वरक और मृदा सुधारकों का सतत उपयोग	प्रवेश अपेक्षा और नामकरण	<p><b>प्रवेश अपेक्षा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. 12वीं या समतुल्य के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 1 वर्ष का संगत अनुभव</li> </ul> <p><b>नामकरण</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ii. उर्वरक और मृदा सुधारकों के सतत उपयोग के अनिवार्य तत्व</li> </ul>
2.	फसल कटाई के उपरांत के कार्यों के लिए सौर ऊर्जा चालित उपकरणों का संचालन	प्रवेश अपेक्षा और नामकरण	<p><b>प्रवेश अपेक्षा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. 11वीं या समतुल्य के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 1 वर्ष का संगत अनुभव</li> </ul> <p><b>नामकरण</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ii. फसल कटाई के उपरांत के कार्यों के लिए सौर ऊर्जा चालित उपकरणों के संचालन की परिचयात्मक जानकारी</li> </ul>
3.	बागवानी और उच्च मूल्य फसलों के लिए निर्यात मानदंड	नामकरण	बागवानी और उच्च मूल्य फसलों के लिए निर्यात मानदंडों की आधारभूत जानकारी
4.	कृषि उपज का एकत्रण और फसल कटाई उपरांत प्रबंधन	नामकरण	कृषि उपज का एकत्रण और फसल कटाई उपरांत प्रबंधन की आधारभूत जानकारी
5.	जलवायु जोखिमों के उपशमन के लिए कृषि संबंधी रणनीतियाँ	नामकरण	जलवायु जोखिमों के उपशमन के लिए कृषि संबंधी रणनीतियों की आधारभूत जानकारी
6.	कृषि ऊर्जा के लिए बायोमास प्रसंस्करण	नामकरण	ऊर्जा के लिए बायोमास प्रसंस्करण की आधारभूत जानकारी

**11.2.3.5 स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र कौशल परिषद् :** दो (02) नए एनओएस समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे और एक (01) अहंता के नामकरण में परिवर्तन के अध्यधीन इन्हें अनुमोदित कर दिया था, जिसे एबी द्वारा अनुमोदित किया गया था और इस प्रकार है :-

क्र.सं.	मौजूदा नामकरण	एनएसक्यूएफ स्तर	सुझाया गया नामकरण
1.	जारा सहायक	4	वृद्ध स्वास्थ्य सहायक

**11.2.3.6 जीवन विज्ञान क्षेत्र कौशल विकास परिषद् :** दो (02) नए एनओएस समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे और नामकरण में परिवर्तनों के अध्ययन अनुमोदित कर दिए गए थे, जिस पर एबी द्वारा सहमति दी गई थी और यह इस प्रकार है :-

क्र.सं.	मौजूदा नामकरण	एनएसक्यूएफ स्तर	सुझाए गए नामकरण
1.	कक्षा IX के लिए जीव विज्ञान (फार्मास्युटिकल चिकित्सा उपकरण और जैव प्रौद्योगिकी) के लिए मूलभूत कौशल	2.5	जीव विज्ञान (फार्मास्युटिकल, चिकित्सा उपकरण और जैव प्रौद्योगिकी) के लिए आरंभिक मार्गदर्शिका
2.	कक्षा X के लिए जीव विज्ञान (फार्मास्युटिकल चिकित्सा उपकरण और जैव प्रौद्योगिकी) के लिए मूलभूत कौशल	2.5	जीव विज्ञान (फार्मास्युटिकल, चिकित्सा उपकरण और जैव प्रौद्योगिकी) आधारभूत जानकारी

**11.2.3.7 एचसीएल टेकः पांच (05) नए एनओएस समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे और नामकरण में परिवर्तनों के अध्यधीन अनुमोदित कर दिए गए थे, जिस पर एबी द्वारा सहमति दी गई थी। व्यौरै इस प्रकार हैं :-**

क्र.सं.	मौजूदा नामकरण	एनएसक्यूएफ स्तर	सुझाए गए नामकरण	नोशनल घंटे
1.	5जी के साथ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन	5	5जी के साथ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की आधारभूत जानकारी	210
2.	आईटी सेवा प्रक्रियाएं और उपकरण प्रबंधन	5	आईटी सेवा प्रक्रियाएं और उपकरण प्रबंधन के एबीसी	210
3.	लिनक्स ओएस के साथ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन	5	लिनक्स ओएस के साथ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के तत्व	210
4.	स्क्रिप्टिंग के साथ स्वचालन परीक्षण	5	स्क्रिप्टिंग के साथ स्वचालन परीक्षण के अनिवार्य तत्व	210

5.	अनुप्रयोग विकास/ डेटा विज्ञान के लिए कैपस्टोन उद्योग परियोजना	5.5	अनुप्रयोग विकास/ डेटा विज्ञान के लिए कैपस्टोन उद्योग परियोजना	90
----	---	-----	---	----

**11.2.4 अवार्डिंग निकायों (केंद्रीय मंत्रालयों/ राज्य निकायों/ एसएससी/ अन्य सरकारी एवं निजी निकायों) द्वारा प्रस्तुत माइक्रो क्रेडेंशियल (एमसी) का एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन**

**11.2.4.1 कृषि क्षेत्र कौशल परिषद् :** छ: (06) नए माइक्रो क्रेडेंशियल समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे और प्रवेश अपेक्षा तथा नामकरण में निम्नलिखित परिवर्तनों के अध्यधीन अनुमोदित कर दिए गए थे जो इस प्रकार हैं :

क्र.सं.	माइक्रो-क्रेडेंशियल का नाम	एनएसक्यूएफ स्तर	सुझाई गई प्रवेश अपेक्षा	सुझाया गया नामकरण
1	एक लघु उद्यम/ एफपीओ के लिए नियामक अनुपालना	4	12वीं के साथ 1 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव*	एफपीओ के लिए नियामक अनुपालना की परिचयात्मक जानकारी
2	एक एफपीओ के लिए कारोबारी और विपणन योजना	4	अथवा 10वीं के साथ 3 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव*	एक एफपीओ के लिए कारोबारी और विपणन योजना की आधारभूत जानकारी
3	एक लघु उद्यम/ एफपीओ के लिए लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाएं	4	अथवा विगत एनएसक्यूएफ स्तर 3.5 के साथ 1.5 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव*	एफपीओ के लिए लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं की आधारभूत जानकारी
4	एक एफपीओ का नेतृत्व करना और प्रबंधन करना	4	अथवा प्रासंगिक अनुभव*	एक एफपीओ के प्रबंधन के लिए अनिवार्य तत्व
5	मवेशी विपणन प्रक्रियाओं के मूल तत्व	4	विगत एनएसक्यूएफ स्तर 3 के साथ 3 वर्षों का प्रासंगिक अनुभव*	मवेशी विपणन प्रक्रियाओं की आधारभूत जानकारी
6	मत्स्य मूल्य शृंखला में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का उपशमन	4	* कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में	मत्स्य मूल्य शृंखला में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के उपशमन के लिए अनिवार्य तत्व

**11.2.4.2 स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र कौशल परिषद् :** दो (02) नए माइक्रो-क्रेडेंशियल समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे और दोनों ही माइक्रो-क्रेडेंशियल के नामकरण में परिवर्तनों के अध्यधीन अनुमोदित कर दिए गए थे, जिस पर एबी द्वारा सहमति दी गई थी, और इसे नीचे तालिका में दिया गया है:-

क्र.सं.	मौजूदा नामकरण	एनएसक्यूएफ स्तर	सुझाया गया नामकरण
1.	मिलेट संबंधी आधारभूत कार्यक्रम	1	मिलेट पोषण (श्री अन्न) के आधारभूत तत्व
2.	संगीत थेरेपी संबंधी आधारभूत कार्यक्रम	3	संगीत थेरेपी का परिचय

**11.2.4.3 जीवन विज्ञान क्षेत्र कौशल परिषद् :** एक (01) नए माइक्रो-क्रेडेंशियल को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और नामकरण में परिवर्तन के अध्यधीन अनुमोदित कर दिया गया था, जिस पर एबी द्वारा सहमति दी गई थी और इसे नीचे तालिका में दिया गया है :-

क्र.सं.	मौजूदा नामकरण	एनएसक्यूएफ स्तर	सुझाया गया नामकरण
1.	सामान्य बीमारियों के लिए घरेलू उपचार	1	सामान्य बीमारियों के लिए घरेलू उपचार की परिचयात्मक जानकारी

**11.2.4.4 हाइड्रो कार्बन क्षेत्र कौशल परिषद् :** दो (02) नए माइक्रो क्रेडेंशियल समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे और एक (01) माइक्रो क्रेडेंशियल के नामकरण में परिवर्तन और एक (01) माइक्रो क्रेडेंशियल के प्रवेश मानदंड में परिवर्तन किए जाने के अध्यधीन अनुमोदित कर दिए गए, जिस पर एबी द्वारा सहमति दी गई थी और इसे नीचे तालिका में दिया गया है :-

क्र.सं.	अर्हता का नाम	एनएसक्यूएफ स्तर	परिवर्तन का प्रकार	सुझाया गया परिवर्तन
1.	पैट्रोरसायन पर आधारभूत पाठ्यक्रम	3	नामकरण	पैट्रोरसायन क्षेत्र का परिचय

2.	परियोजना प्रबंधन - तेल एवं गैस की आधारभूत जानकारी	4.5	प्रवेश अपेक्षा	3 वर्षीय यूजी का प्रथम वर्ष हो और शिक्षारत हो
----	---	-----	----------------	---

**11.2.4.5 एचसीएल टेक : पैंटीस (35)** नए माइक्रो क्रेडेंशियल समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे और नामकरण में परिवर्तनों के अध्यधीन अनुमोदित कर दिए गए थे, जिस पर एबी द्वारा सहमति दी गई थी, जिसके ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

क्र.सं.	मौजूदा नामकरण	एनएसक्यूएफ स्तर	सुझाया गया नामकरण	नोशनल घंटे
1	हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन	5	हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के अनिवार्य तत्व	30
2	क्लाउड कंप्यूटिंग आधारभूत जानकारी	5	क्लाउड कंप्यूटिंग आधारभूत जानकारी	30
3	क्लाउड पहचान और पहुंच प्रबंधन	5	क्लाउड पहचान और पहुंच प्रबंधन की आधारभूत जानकारी	30
4	क्लाउड नेटवर्क (वीपीएन/ वीपीसी) प्रबंधन	5	क्लाउड नेटवर्किंग का परिचय	30
5	क्लाउड संसाधन और स्टोरेज प्रबंधन	5	क्लाउड में डेटा, आपदा और रिकवरी मैनेजमेंट की एबीसी	30
6	शिक्षकों के लिए साइबर सुरक्षा	5	शिक्षकों के लिए साइबर सुरक्षा के अनिवार्य तत्व	7.5
7	व्यावसायिक के लिए साइबर सुरक्षा	5	व्यावसायिकों के लिए साइबर सुरक्षा के अनिवार्य तत्व	7.5
8	महिलाओं के लिए साइबर सुरक्षा	3	महिलाओं के लिए साइबर सुरक्षा की परिचयात्मक जानकारी	7.5
9	छात्रों के लिए साइबर सुरक्षा	3	छात्रों के लिए साइबर सुरक्षा की परिचयात्मक जानकारी	7.5
10	वकीलों के लिए साइबर सुरक्षा	5	वकीलों के लिए साइबर सुरक्षा के अनिवार्य तत्व	7.5
11	एजाइल टेस्टिंग विधियाँ	4.5	एजाइल टेस्टिंग विधियों के अनिवार्य तत्व	7.5
12	टेस्ट योजना और प्रगति मॉनीटरिंग	4.5	टेस्ट योजना और प्रगति मॉनीटरिंग के अनिवार्य तत्व	7.5

13	ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए पाइथोन स्क्रिप्ट	5	ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए पाइथोनस्क्रिप्ट का परिचय	7.5
14	एकीकरण, सिस्टम और स्वीकृति टेस्टिंग	4.5	एकीकरण, सिस्टम और स्वीकृति टेस्टिंग की परिचयात्मक जानकारी	7.5
15	डिफेक्ट लाइफसाइकल और ट्रेकिंग डिफेक्ट्स	4.5	डिफेक्ट लाइफसाइकल और ट्रेकिंग डिफेक्ट्स के अनिवार्य तत्व	7.5
16	डेटा इंजीनियरिंग आधारभूत जानकारी	5	डेटा इंजीनियरिंग आधार	30
17	डेटा के साथ कार्य के लिए पाइथोन प्रोग्रामिंग और लाइब्रेरी	5	डेटा के साथ कार्य के लिए पाइथोन प्रोग्रामिंग और लाइब्रेरी के अनिवार्य तत्व	30
18	एसक्यूएल और एनओएसक्यूएल के साथ कार्य	5	अभ्यासियों के लिए एसक्यूएल और नोएसक्यूएल	30
19	डेटा वेयरहाउसिंग और मॉडलिंग	5	डेटा वेयरहाउसिंग और मॉडलिंग की परिचयात्मक जानकारी	30
20	ईटीएल के लिए बिग डेटा का उपयोग	5	ईटीएल के लिए बिग डेटा का परिचय	7.5
21	डेटा विश्लेषण और विजुअलाइजेशन	5	डेटा विश्लेषण और विजुअलाइजेशन के अनिवार्य तत्व	7.5
22	समस्या समाधान के लिए सांख्यिकी विश्लेषण	5	समस्या समाधान के लिए सांख्यिकी विश्लेषण की परिचयात्मक जानकारी	30
23	जनरेटिव एआई और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग	5	जनरेटिव एआई और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का आधार	30
24	वेब डेवलपमेंट आधारभूत जानकारी	5	वेब डेवलपमेंट की परिचयात्मक जानकारी	30
25	सर्वलेट और जावा स्क्रिप्ट के साथ डायनेमिक वेब डेवलपमेंट	5	सर्वलेट और जावा स्क्रिप्ट के साथ डायनेमिक वेब डेवलपमेंट के अनिवार्य तत्व	30
26	वेब सर्विस के लिए मॉड्यूल	5	वेब सर्विस का परिचय	30
27	नोड के साथ वेब यूआई डेवलपमेंट	5	नोड पर वेब यूआई डेवलपमेंट की परिचयात्मक जानकारी	7.5
28	रिएक्ट के साथ वेब यूआई डेवलपमेंट	5	रिएक्ट पर वेब यूआई डेवलपमेंट की परिचयात्मक जानकारी	7.5
29	जावा का उपयोग करके वेब	5	जावा का उपयोग करके वेब उन्मुखी	30

	उन्मुखी प्रोग्राम प्रक्रिया		प्रोग्राम प्रक्रिया का आधार	
30	जेडीबीसी का उपयोग करके अरैकल एसक्यूएल और डेटा कनेक्टिविटी के साथ कार्य	5	जेडीबीसी का उपयोग करके अरैकल एसक्यूएल और डेटा कनेक्टिविटी के अनिवार्य तत्व	30
31	मॉंगो डीबी के साथ डेटाबेस प्रबंधन	5	मॉंगो डीबी का प्रयोग करके डेटाबेस प्रबंधन का आधार	30
32	बूट स्ट्रेप, टाइप स्क्रिप्ट और ईएस7 के साथ यूआई एप्लिकेशन डिजाइन	5	यूआई एप्लिकेशन डिजाइन के लिए बूट स्क्रेपिंग की आधारभूत जानकारी	30
33	फ्रंट एंड यूजर इंटरफ़ेस डिजाइन और विकास (एंगुलर)	5	एंगुलर का उपयोग करके यूजर इंटरफ़ेस डिजाइन और विकास की आधारभूत जानकारी	30
34	स्प्रिंग फ्रेमवर्क के साथ कार्य	5	स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अनिवार्य तत्व	30
35	लीनक्स और शेल स्क्रिप्टिंग	5	लीनक्स और शेल स्क्रिप्टिंग की परिचयात्मक जानकारी	7.5

**11.2.4.6 अतिरिक्त कौशल अर्जन कार्यक्रम (एएसएपी) केरल :** एक (01) नए माइक्रो क्रेडेंशियल को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और नामकरण में परिवर्तन के अध्यय्धीन इसे अनुमोदित कर दिया गया था, जिसे एबी द्वारा सहमति दी गई थी।

क्र.सं.	मौजूदा नामकरण	एनएसक्यूएफ स्तर	सुझाया गया नामकरण
1.	कंटेंट लेखन आधारभूत जानकारी	4	कंटेंट लेखन की आधारभूत जानकारी

## 12. कार्यसूची मद 12 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त कार्यसूची/ कोई अन्य मामला

### 12.1 माइक्रो क्रेडेंशियल (एमसी) और नैनो क्रेडेंशियल (एनसी) के नामकरण का मानकीकरण

**12.1.1 समिति** को यह अवगत कराया गया कि जैसा कि विभिन्न अवार्डिंग निकायों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, विभिन्न एमसी और एनसी के नामकरण में भिन्नताएं हैं। अतः एमसी और एनसी के नामकरण में एकरूपता लाने और मानकीकरण के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव किया गया था :-

क्र.सं.	एनएसक्यूएफ स्तर	नोशनल घंटे	सुझाया गया नामकरण
1	स्तर 4 और अधिक	30 घंटे	(विषय का नाम) अथवा समतुल्य की आधारभूत जानकारी
2	स्तर 4 से कम	30 घंटे	(विषय का नाम) अथवा समतुल्य की परिचयात्मक जानकारी
3	स्तर 4 और अधिक	7.5 घंटे	(विषय का नाम) अथवा समतुल्य के आधार तत्व

12.1.2 इसके अलावा, समिति को यह अवगत कराया गया कि जैसा कि ऊपर दिया गया है, समान नामकरण की पहचान के लिए निम्नलिखित पर भी संसूचक उदाहरणों के रूप में विचार किया जाए:-

1. (विषय का नाम) के आधार
2. (विषय का नाम) का परिचयात्मक जानकारी
3. (विषय का नाम) के अनिवार्य तत्व
4. (विषय का नाम) के आधार तत्व

12.1.3 समिति ने गौर किया और कार्यसूची को अनुमोदित किया। समिति ने इस बात पर भी जोर दिया कि एनओएस के नामकरण की पहचान के लिए इसी प्रकार की अवधारणा का भी अनुसरण किया जाए। समिति ने यह स्पष्ट किया कि सुझाई गई व्यवस्था सांकेतिक प्रकृति की है और यह उपयुक्त नहीं होगी, क्योंकि यह सभी नामकरण अपेक्षाओं के लिए है, इसलिए संबंधित एबी नामकरण की पहचान के लिए सुझाई गई व्यवस्था को देखें जिससे अधिक एकरूपता और बेहतर समझ आ रही है।

12.2 उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम) द्वारा एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हताओं के अंगीकरण को अनुमोदन

12.2.1 समिति को यह अवगत कराया गया था कि यूपीएसडीएम ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र कौशल परिषद् द्वारा विकसित एक (01) मौजूदा एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हता नामतः 'लेखा कार्यकारी (विज्ञापन एजेंसी)' (स्तर 4) के अंगीकरण का अनुरोध किया था।

12.2.2 समिति को यह अवगत कराया गया था कि 'अवार्डिंग निकायों द्वारा अर्हता के अंगीकरण के लिए दिशानिर्देश' के प्रावधानों के आलोक में अर्हता की जाँच की गई है और फाइल पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

12.2.3 इसके अतिरिक्त, समिति को यह भी अवगत कराया गया था कि यूपीएसडीएम विभिन्न अवार्डिंग निकायों द्वारा विकसित अन्य 07 मौजूदा अर्हताओं के अंगीकरण के लिए अनुरोध कर रहा है। तथापि, अवार्डिंग निकायों ने या तो उनके अनुरोध का उत्तर नहीं दिया है या अर्हता के अंगीकरण के लिए अतिरिक्त शर्त जोड़ रहे हैं, जो कि 'अर्हताओं के अंगीकरण के लिए दिशानिर्देश' के प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं।

12.2.4 समिति ने यूपीएसडीएम द्वारा मौजूदा नौ (09) अर्हताओं के अंगीकरण के लिए इस शर्त पर सिद्धान्ततः अनुमोदन प्रदान कर दिया है कि अंगीकरण दिशानिर्देश के अनुसार संबंधित निकायों द्वारा सभी आवश्यक प्रक्रिया संबंधी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं।

12.2.5 समिति ने सभी अवार्डिंग निकायों को यह भी निदेश दिया कि वे सभी अंगीकरण के अनुरोधों के लिए समय पर और उपयुक्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित करें।

12.2.6 अंगीकरण के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान की जाने वाली अर्हताओं का ब्यौरा इस प्रकार है :-

क्र.सं.	जाँब भूमिका का नाम	विकासकर्ता निकाय
1	घरेलू डॉटा इन्ट्री ऑपरेटर	आईटी/ आईटीईएस एसएससी
2	सैंपलिंग टेलर	परिधान एसएससी
3	फैशन डिजाइनर	परिधान एसएससी
4	स्व रोजगार प्राप्त टेलर	परिधान एसएससी
5	अस्पताल फ्रंट डेस्क समन्वयक	हेल्थकेयर एसएससी
6	सामान्य ड्युटी सहायक	हेल्थकेयर एसएससी
7	सामान्य ड्युटी सहायक - एडवांस	हेल्थकेयर एसएससी
8	पारंपरिक हैंड एम्ब्रायोडरी	हस्तशिल्प एसएससी
9	ब्यूटी थेरेपिस्ट	ब्यूटी और वेलनेस एसएससी

12.2.7 समिति ने अंगीकरण का अनुसमर्थन किया।

**12.3 समाधान समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए एक (01) एनओएस (उद्यमशीलता क्षेत्र) का अनुमोदन**

**12.3.1** समाधान समिति ने एनसीवीईटी द्वारा एक अवार्डिंग निकाय के रूप में मान्यता के लिए आवेदन किया था। निर्धारित मानकों के अनुसार, एक अवार्डिंग निकाय के रूप में मान्यता चाहने वाली किसी संस्था को एक अर्हता विकसित करनी होती है और मान्यता प्रदान करने का करार हस्ताक्षरित करने के लिए निर्धारित एनएसआरएफ मानकों के अनुसार उसे सरेखित और अनुमोदित कराना होता है। तदनुसार, समाधान समिति ने एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन के लिए एनएसक्यूएफ स्तर 3 पर “कार वाशिंग सर्विस में नेनो उद्यमिता” नामक उद्यमशीलता क्षेत्र से संबंधित एक (01) एनओएस प्रस्तुत किया था। अर्हता का ब्यौरा इस प्रकार है :-

क्र.सं.	अर्हता का नाम	प्रवेश अपेक्षा	नोशनल घंटे	एनएसक्यूएफ स्तर
1.	कार वाशिंग सर्विस में नेनो उद्यमिता	10वीं कक्षा पास अथवा 8वीं कक्षा पास और साथ में 3 वर्ष का अनुभव अथवा प्रासंगिक क्षेत्र में एनएसक्यूएफ स्तर 2 के साथ 3 वर्षों का अनुभव	कुल - 60 घंटे सैद्धान्तिक - 50 घंटे प्रायोगिक - 10 घंटे	3

**12.3.2** समिति ने प्रस्तुत किए गए एनओएस को अनुमोदित कर दिया।

**12.4 नेटटूर तकनीकी प्रशिक्षण फाउंडेशन (एनटीटीएफ) से प्राप्त तीन (03) डिप्लोमा अर्हताओं (इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र) का अनुसमर्थन**

**12.4.1** समिति को यह अवगत कराया गया था कि एनटीटीएफ ने एनएसक्यूएफ संरेखण और एनएसक्यूसी अनुमोदन के लिए इलैक्ट्रॉनिक क्षेत्र के संबंध में नौ (09) अर्हताएं प्रस्तुत की थीं। इन अर्हताओं को 34वीं एनएसक्यूसी में अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था। अर्हताओं का ब्यौरा इस प्रकार है :-

क्र.सं.	अनुमोदित अर्हताएं	एनएसक्यूएफ स्तर
1	सहायक तकनीशियन - इलैक्ट्रिकल	3.5
2	तकनीशियन - औद्योगिक इलैक्ट्रिकल	4

3	वरिष्ठ तकनीशियन - इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रॉनिक्स	4.5
4	फिटर - इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रॉनिक्स	3.5
5	तकनीशियन इलैक्ट्रिकल और इलैक्ट्रॉनिक असेम्बली	4
6	वरिष्ठ तकनीशियन - इलैक्ट्रिक उपकरण विनिर्माण	4.5
7	सहायक तकनीशियन इलैक्ट्रॉनिक असेम्बली	3.5
8	तकनीशियन इलैक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रुमेंटेशन	4
9	वरिष्ठ तकनीशियन - इलैक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एवं एम्बेडेड सिस्टम	4

**12.4.2** समिति को यह भी अवगत कराया गया था कि एनटीटीएफ ने 'व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल में डिप्लोमा अर्हताओं के लिए दिशानिर्देश' में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त नौ (09) पहले से एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित अर्हताओं का समूहन (गुपिंग) करके तीन (03) डिप्लोमा अर्हताओं को प्रस्तुत किया है। इन तीन (03) अर्हताओं का ब्यौरा इस प्रकार है :-

क्र.सं.	डिप्लोमा अर्हता का नाम	अनुमोदित अर्हताएं	एनएसक्यूएफ स्तर
1	इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा	सहायक तकनीशियन - इलैक्ट्रिकल	3.5
		तकनीशियन - इलैक्ट्रिकल	4
		वरिष्ठ तकनीशियन - इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रॉनिक्स	4.5
2	इलैक्ट्रिकल उपस्कर विनिर्माण में डिप्लोमा	फिटर - इलैक्ट्रिकल और इलैक्ट्रॉनिक्स	3.5
		तकनीशियन इलैक्ट्रिकल और इलैक्ट्रॉनिक्स असेम्बली	4
		वरिष्ठ तकनीशियन - इलैक्ट्रिकल उपस्कर विनिर्माण	4.5
3	इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एवं एम्बेडेड सिस्टम डिप्लोमा	सहायक तकनीशियन - इलैक्ट्रिकल	3.5
		तकनीशियन - इलैक्ट्रिकल	4
		वरिष्ठ तकनीशियन - इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रॉनिक्स	4.5

**12.4.3** तदनुसार, उपरोक्त तीन (03) डिप्लोमा अर्हताओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 28.05.2024 के आदेश सं. 21002/05/2024-एनसीवीईटी के तहत "फाइल पर" अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

12.4.4 समिति ने इस शर्त पर डिप्लोमा अर्हताओं का अनुसमर्थन किया है कि नामकरण को “इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा” से परिवर्तित करके “इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम में डिप्लोमा” किया जाए तथा “इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और एम्बेडेड सिस्टम में डिप्लोमा” को परिवर्तित करके “इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्बेडेड सिस्टम में डिप्लोमा” किया जाए।

12.5 मेधावी कौशल विश्वविद्यालय (एमएसयू) द्वारा प्रस्तुत की गई दो (02) अर्हताओं और एक (01) एनओएस (इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र) का अनुमोदन

12.5.1 समिति को यह अवगत कराया गया था कि एमएसयू की दो (02) नई अर्हताओं और एक (01) नए एनओएस को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। व्यौरे अनुबंध-VI में दिए गए हैं।

12.5.2 समिति ने एक एनओएस और एक अर्हता के नामकरण में परिवर्तन किए जाने के अध्यधीन दो (02) अर्हताओं और एक (01) एनओएस को अनुमोदित किया। व्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्र.सं.	मौजूदा नामकरण	एनएसक्यूएफ स्तर	क्यूपी टाइप	सुझाया गया नामकरण
1.	सेमीकंडक्टर सर्किट डिजाइन की परिचयात्मक जानकारी	3.5	एनओएस	सेमीकंडक्टर और इंटिग्रेटेड सर्किट (आईसी) की परिचयात्मक जानकारी
2.	सेमीकंडक्टर आईसी डिजाइन और सत्यापन इंजीनियर	6	क्यूपी	सेमीकंडक्टर आईसी डिजाइन और सत्यापन व्यावसायिक